

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं० सं०-2/आर-70/2022-

/स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० पूर्णिमा कुमारी, तत्कालीन सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, कटैया, गोपालगंज सम्प्रति सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, सोनपुर, सारण के दिनांक 06.11.2020 से 04.07.2021 तक की अवधि को वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-723(25), दिनांक 02.04.2025 से प्राप्त अवकाश आदेयता प्रतिवेदन एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में निम्नरूप में स्वीकृत किया जाता है:-

1	दिनांक 06.11.2020 को	-	01(एक) दिन उपार्जित अवकाश।
2	दिनांक 07.11.2020 से 04.07.2021 तक	-	असाधारण अवकाश के रूप में (बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में)

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/आर-70/2022-

1376(2) पटना, दिनांक 4/8/2025

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोपालगंज/सारण/कोषागार पदाधिकारी, छपरा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, कटैया, गोपालगंज/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, सोनपुर, सारण/ डा० पूर्णिमा कुमारी, तत्कालीन सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, कटैया, गोपालगंज सम्प्रति सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, सोनपुर, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9, 17 एवं 18ए, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव